



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4277]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 29, 2018/ कार्तिक 7, 1940

No. 4277]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 2018/ KARTIA 7, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5482(अ).—यतः, मै. नवयुग लिगला एस्टेट्स प्रा. लि., ने तेलंगाना राज्य के ग्राम सेरिलिंगमपल्ली, सेरिलिंगमपल्ली मडल, रंगा रेड्डी जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आई.टी/आई.टी.ई.एस.) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1580(अ) दिनांक 20 सितम्बर, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.218 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. नवयुग लिगला एस्टेट्स प्रा. लि. ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 10.218 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तेलंगाना सरकार ने उनके दिनांक 29 जून, 2018 के पत्र सं. 1186/आईटी एंव् सी/ प्रोम2/2006 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन के 10.218 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

अतः इसलिए केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर रद्द करती हैं।

[फा. सं. एफ-2/330/2006-एसईजेड]
बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2018

S.O. 5482(E).—WHEREAS, M/s. Navayuga Legala Estates Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for IT/ITES sector at Serilingampally Village, Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District, Telangana;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 10.218 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1580(E) dated 20th September, 2007;

And, Whereas, M/s. Navayuga Legala Estates Private Limited has now proposed to de-notify entire area of 10.218 hectares of the above Special Economic Zone;

And, Whereas, the State Government of Telangana has given its “No Objection” to the proposal vide letter no. 1186/IT&C/Prom2/2006 dated 29th June, 2018;

And, Whereas, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 10.218 Hectares of the Special Economic Zone;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F-2/330/2006-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.